अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर–रतनपुर मार्ग, कोनी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) 495009,
ई–मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in, वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 203 /अका./2022 बिलासपुर, दिनांक 13/05/2022

अधिसूचना

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की तेइसवीं बैठक दिनांक 21.03.2022 एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बत्तीसवीं बैठक दिनांक 29.03.2022 में ''अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, शोधपीठों'' के क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित विनियम क्रमांक–18 को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:–

विनियम क्रमांक–18

1.0 **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ–**

यह विनियम विश्वविद्यालय में समय–समय पर शोध एवं अकादमिक गतिविधियों के आयोजन एवं क्रियान्वयन के संबंध में स्थापित किये जाने वाले शोधपीठ से संबंधित है। यह विनियम ''अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय शोधपीठ संबंधित विनियम'' कहलायेगा एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के दिनांक से प्रभावी होगा।

2.0 **भूमिका–**

2.1 शोधपीठ के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण अकादमिक कार्यक्रम में अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, समाज से सरोकार एवं प्रकाशन इत्यादि समाहित होंगे।

2.2 अनुसंधान की गतिविधि को बढ़ाने में शोधपीठ की भूमिका उल्लेखनीय होगी।

3.0 **शोधपीठ की स्थापना–**

3.1 शोधपीठ की स्थापना अकादमिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड, विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरांत किया जावेगा।

3.2 शोधपीठ का एक सलाहकार मंडल होगा जिसके अध्यक्ष कुलपति होंगे।

3.3 शोधपीठ किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम से स्थापित होगा तथा इसका एक विशिष्ट उद्देश्य, गतिविधि एवं कार्य होगा।

4.0 **सलाहकार मण्डल–**

4.1प्रत्येक शोधपीठ हेतु एक सलाहकार मण्डल का गठन किया जावेगा जो कि निम्नानुसार होगी–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	निदेशक	सदस्य
3.	दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	सदस्य
4.	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के दो सदस्य	सदस्य
5.	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के दो सदस्य	सदस्य
6.	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ आचार्य	सदस्य
7.	विशिष्ट व्यक्ति के नाम से स्थापित किये जाने वाले शोध पीठ से संबंधित महानुभव को जानने एवं समझने वाले एक व्यक्ति	सदस्य
8.	कुलसचिव	सदस्य

4.2 सलाहकार मंडल की अवधि 03 वर्ष की होगी।

4.3 निदेशक की नियुक्ति सलाहकार मंडल की अनुशंसा पर कार्यपरिषद द्वारा किया जा सकेगा।

4.4 कंडिका 4.1 के सरल क्रमांक 7 हेतु नामांकन/मनोनयन वैकल्पिक हो सकेगा।

वित्तीय व्यवस्था–

5.1 शोधपीठ हेतु वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन, केन्द्र शासन अथवा अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से की जावेगी किन्तु आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय अपने बज़ट से भी समुचित राशि की व्यवस्था कर सकेगी।

5.2 निदेशक को एक निशिचित राशि रूपये पच्चीस हजार प्रतिमाह मानदेय के रूप में देय होगा।

5.3 सलाहकार मंडल के अन्य सदस्य अवैतनिक होंगे ।

5.4 सलाहकार मंडल के सदस्यों को समय–समय पर आयोजित बैठक एवं अन्य गतिविधियों में शामिल होने हेतु विश्वविद्यालय के नियमानुसार यात्रा भत्ता, बैठक भत्ता एवं अन्य भत्तें देय होंगे।

6.0 **अन्य–**

6.1 उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय पर त्वरित एवं उचित निर्णय लेने हेतु कुलपति अधिकृत होंगे।

6.2 उपरोक्त वर्णित किसी भी बिन्दु पर कोई अनिर्णय अथवा भ्रम की स्थिति में उसकी समुचित व्याख्या कुलपति के द्वारा की जा सकेगी।

आदेशानुसार

13-5-22

कुलसचिव

पृ.कमांक 204 / अका / 2022 बिलासपुर, दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपिः–

1/ कुलपति महोदय के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2/ समस्त विभागाध्यक्ष / विभाग प्रमुख, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3/ परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

4/ वित्ताधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5/ विश्वविद्यालय के वेब–पटल में अपलोड करने हेतु।

6/ कार्यालयीन अभिलेख हेतु।

उप–कुलसचिव(अका.)